

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रतिवादी अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :- 058/2024

1. दानमल पुत्र प्रेम कुमार जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम


1. प्रेम कुमार पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रजीराम पुत्र प्रेम कुमार जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री प्रेम कुमार पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 31.05.2024



वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.24 को स्वाति गुप्ता आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 3 बी.आर डबल्यू के खाता संख्या 106/91 में कुल 4.985 हैक्टर व इसी चक 3 बी.आर डबल्यू के खाता संख्या 135/113 में कुल .860 हैक्टर आराजी में वादी को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 3 बी.आर डबल्यू के खाता संख्या 106/91 व इसी चक 3 बी.आर डबल्यू के खाता संख्या 135/113 में से प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अधिकारी
चक कलेक्टर
टिब्बी



तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व

रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 31.05.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रुपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--